संख्या-50/2018/क0नि0-4-1011/11-2018-300(38)/2003

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 04 अक्टूबर, 2018**

विषयः- जनपद अलीगढ़ में वाणिज्य कर कार्यालय भवन निर्माण हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-अलीगढ़-24/कार्यालय भवन निर्माण/2018-19/485/ वाणिज्य कर, दिनांक 23.08.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अलीगढ़ में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू0-901.20 लाख में से अवशेष धनराशि रु0-571.00 लाख (रू0 पाँच करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) कमिश्नर, वाणिज्य कर वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 के प्रस्तर-11(च) के प्राविधान के अनुसार परियोजना की मूल लागत की 05 प्रतिशत धनराशि रोककर, शेष धनराशि का आवंटन कार्यदायी संस्था को करेंगे तथा रोकी हुई 05 प्रतिशत धनराशि परियोजना पूर्ण होने और गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही आवंटित करेंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

(6) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना से नहीं कराया गया है, न ही किसी अन्य योजना में प्रस्तावित है।

(7) उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/ 2018, दिनांक 30.03.2018 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01- कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1309 जनपद अलीगढ़ में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव

<u>संख्या-50/2018/क0नि0-4-1011(i)/11-2018, तद्दिनाँक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहबाद।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
3- एडी0 कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अलीगढ., उ0प्र0।
5- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम यूनिट-25, अलीगढ़।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।